रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012025-260241 CG-DL-E-15012025-260241

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2025/पौष 24, 1946

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2025/PAUSHA 24, 1946

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

का.आ. 260(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और एडवोकेट चन्द्र शेखर, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करती है।

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड -28016/41/2024-पीएमएसएसवाई–IV(8291745)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

379 GI/2025 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2025

S.O. 260(E).—In exercise of powers conferred by Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby notifies **Shri Trivendra Singh Rawat** and **Adv. Chandra Shekhar**, elected by the Members of Lok Sabha to serve as Members of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Rishikesh.**

The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/41/2024-PMSSY-IV(8291745)]
ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.